न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व वाद संख्या 56/2013

श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री नन्ददास जी कामड उम्र 58 साल जाति कामड निवासी ग्राम लोडियाना हाल मुकाम गोरधन जी डॉक्टर के पास, आरजिया चौराहा, ग्राम व पोस्ट आरजिया तहसील भीलवाडा जिला–भीलवाडा

——–—वादी

ब ना म

1– श्री रामेश्वर पुत्र सीताराम
2– श्री श्रवण पुत्र रामेश्वर
3– श्री रघुनाथ पुत्र रामेश्वर
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खूंटिया वाया जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला–अजमेर
4– राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मसूदा जिला–अजमेर

——–—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि वाके ग्राम लोडियाना पटवार हल्का लोडियाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र विजयनगर तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर में खसरा नंबर 168 रकबा 02–00–00 किस्म बा0–3, 362 रकबा 01–00–00 किस्म बा.3, 57/2 रकबा 01–03–00 किस्म बा.3, 70/2 रकबा 01–02–00 किस्म बा.3 स्थित है। उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, तथा गरीब परिवार से है, इसलिये कमाने के लिये भीलवाडा में निवास करता है, और वादी उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1से 3 को सिजारे पर दे रखी थी। दिनांक 01.06.2013 को वादी व वादी की पत्नि विवादित आराजि पर गये तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी व उसकी पत्नि को धमकी दी कि यह जमीन हमारी है, इस हमारा कब्जा है, और अब यह जमीन हम नही छोडेंगे तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकोंगे। प्रतिवादीगण आदतन झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, तथा काफी समझाने के आवजूद भी कब्जा छोडने के तैयार नही है, इसलिये यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बेदखली की डिकी पारीत की जावे। तथा जरिये तहसीलदार व पुलिस इमदाद से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाबदावे का हक बन्द किया गया।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब कि साक्ष्य वादी में लक्ष्मणदास पुत्र नन्ददास ने अपना शपथ पत्र पेश कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये कथन किया। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी का हक बंद किया गया।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। वादी ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार करने का कथन किया। प्रतिवादी ने वादी के वाद को खारीज किये जाने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन ग्राम लोडियाना की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 416 अनुसार विवादित भूमियों का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लोडियाना पटवार हल्का लोडियाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र विजयनगर तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर में खसरा नंबर 168 रकबा 02–00–00 किस्म बा.3, 362 रकबा 01–00–00 किस्म बा.3, 57/2 रकबा 01–03–00 किस्म बा.3, 70/2 रकबा 01–02–00 किस्म बा.3 में वादी की भूमियो पर जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाजायज कब्जा चला आ रहा है, उससे उन्हें बेदखल किया जाने हेतु तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त अवैध कब्जे को हटवा कर उसका कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:57:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: